राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 6(1)राज–6/2014/पार्ट–1/28 जयपुर, दिनांक 01-08-2016

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 260 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 136 के अधीन भूमि अभिलेख अधिकारी पर अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग समस्त तहसीलदारो द्वारा अपने–अपने क्षेत्राधिकार के भीतर किया जावेगा।

यह अधिसूचनां दिनांक 30.09.2016 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुंज बिहारी पण्ड्या)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व/विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्व।
5. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 01-08-16 में प्रकाशत हेतु।
9. निदेशक, जनसंपर्क राजस्थान को प्रकाशन हेतु।
10. राविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
11. रक्षित पत्रावली।
12. निदेशक, जनसम्पर्क, राजस्थान को प्रेस रिलीज हेतु।

संयुक्त शासन सचिव